**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4036**

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

**लेखा परीक्षा मानकों को लागू करना**

**4036. श्री टी॰ रतिनावेलः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) कार्यरत कंपनी सचिवों हेतु लेखा-परीक्षा मानकों को लागू करने वाला है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि लेखा-परीक्षा मानक स्वैच्छिक स्वरूप के होंगे;
(घ) क्या यह भी सच है कि आईसीएसआई बहुत जल्द चार लेखा-परीक्षा मानकों को लागू करेगा; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री** **(श्री अरुण जेटली)**

**(क) से (ङ):** कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान सरकार या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के व्यवसायरत कंपनी सचिवों के लिए लेखापरीक्षा मानकों को बनाने के लिए अधिदेशित नहीं करते हैं। हालांकि, आईसीएसआई ने स्वयं ही व्यवसायरत कंपनी सचिवों के लिए लेखापरीक्षा मानकों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है, जो यदि कार्यान्वित की जाती है तो स्वैच्छिक प्रकृति की होगी।

*****